

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

आज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मुकाम जोधपुर

सुजासाम



बनाम्

श्यामलाल व अन्य

किस्म मुकदमा - 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा संख्या - P/78/2025

जीसीएमएस नं 2025/163

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
09.06.2025	<p>वादी की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया। वादी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश चन्द शर्मा, भवानी सिंह चौहान व श्यामसिंह राठौड़ उपस्थित। राजस्व वाद को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को नोटिस/सम्मान जरिये सामान्य/रजिस्टर्ड डाक से जारी हो। पत्रावली वास्ते तलवी प्रतिवादीगण दिनांक 27/06/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">   <b>असिस्टेंट कलक्टर</b>  <b>(फास्ट ट्रेक) जोधपुर</b> </p> <p>27/06/25 पत्रावली फो डू दी व डील वाजी 370।                      व डील वाजी हात डा. पत्र वक्ता                      पिछे हरे मूल वाद मय स्थगन डा. पत्र                      प्रस्तुत किया गया। राज. दि. हो व डील                      वाजी हात मय निवेदन किया गया कि                      वाजी वाद आगे चलाना नहीं चाहते                      हैं अतः वाजी का वाद परीक्षे आधिकार                      विहीन किन्ने पत्रे का निवेदन किया गया।                      अतः वाजी परीक्षे आधिकार के निवेदन                      पर वाजी का वाद परीक्षे विहीन                      खातिर किया जाता है। पत्रावली फिल                      शुमार होकर नम्बर ले कम होकर साक्षित                      दस्तावेज है।</p> <p style="text-align: center;">   <b>असिस्टेंट कलक्टर</b>  <b>(फास्ट ट्रेक) जोधपुर</b> </p>	